

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा  
पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा (आर.ए.एस)

खाद्य सुरक्षा परिवाद संख्या 23/2023

दायर दिनांक:- 07.06.2023

प्रार्थी/परिवादी

बनाम

अप्रार्थी/गैरसायल-

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं  
स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर

1. श्री सुबोध शर्मा पुत्र रामस्वरूपजी  
जाति वैष्णव निवासी रेगरो का वास  
शास्त्री चौक बालोतरा मैसर्स अरोड़ा  
नमकीन चारण मार्केट शास्त्री चौक  
बालोतरा मालिक

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

—:उपस्थिति :-

1. श्री अभियोजन अधिकारी बाड़मेर प्रार्थी की ओर से उपस्थिति
2. श्री सुबोध शर्मा पुत्र रामस्वरूपजी जाति वैष्णव निवासी रेगरो का वास शास्त्री चौक बालोतरा मैसर्स अरोड़ा नमकीन चारण मार्केट शास्त्री चौक बालोतरा मालिक गैरसायल स्वयं

—:आदेश:-


दिनांक:- 23.02.2024


1. शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प1 (2) कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर ने अप्रार्थी के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने दही आम जनता को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(11) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटीफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र नोटीफिकेशन की प्रति, माल खरीद की प्रति, बिल असल, फार्म नं. 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद एवं नमूना मय फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद। अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीनों भागों की फार्म नं. 6 की पुश्त पर प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर की नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र विक्रेता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।
2. न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 14.03.2023 को 05.15 PM पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स अरोड़ा नमकीन चारण मार्केट शास्त्री चौक बालोतरा पहुंचा। वहां निरीक्षण के द्वारा एक एल्यूमिनियम की भरणी में लगभग 15 लीटर दही रखा हुआ था। उस समय मौके पर विक्रेता की हैसियत से जो व्यक्ति उपस्थित हुआ उसे खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय दिया एवं उसका परिचय लिया। विक्रेता ने अपना नाम श्री सुबोध शर्मा पुत्र रामस्वरूपजी जाति वैष्णव निवासी रेगरो का वास शास्त्री चौक बालोतरा मैसर्स अरोड़ा नमकीन चारण मार्केट शास्त्री चौक बालोतरा मालिक बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा जो विक्रेता के पास उपलब्ध था। दही में मिलावट का संदेह होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता को प्रपत्र 5 अ भरकर दिया ओर बता दिया गया कि उपर्युक्त का एफएसएसए के तहत सम्पल लिया जा रहा है। जिसकी प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न की गई है।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा




3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त 15 लिटर दही में से 800 एमएल वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदी जिसकी कीमत विक्रेता को 60/-रूपये (अक्षरे साठ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता, गवाहान व खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है।
4. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे सही मानकर विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन के साथ संलग्न है।
5. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 200-200 एमएल चार अलग अलग प्लास्टिक डिब्बे में बराबर उसमें प्रत्येक डिब्बे में 16-16 बूंद फोरमोलिन डालकर एयर टाइट ढक्कनि बन्द किया गया व लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबल पर डीओ के कोड एवं क्रमांक,दिनांक व स्थान दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग भूरे कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ बाड़मेर की हस्ताक्षसुदा पेपर स्लिप नं. पी 1929 नियमानुसार चारो नमूना डिब्बे पर निचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार पेपर स्लिप व रेपर पर होते हुए करवाये, गवाह के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना के रेपर पर कोड नम्बर, सिरियल नम्बर, वस्तु का नाम, दिनांक व स्थान अंकित कर अपने हस्ताक्षर किये और चारो नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने जाप्ते में लिया।
6. कार्यालय पहुँच कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं. 6 की छह प्रतियां तैयार की प्रत्येक पर नमूना सिल लगाई जिससे नमूना सिल किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटरकवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सीलबन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बाड़मेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
7. खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अग्रेषण पत्र द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मालूम हुआ कि उनके द्वारा लिया गया दही का नमूना सब स्टेण्डर्ड पाया गया है। अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद प्रस्तुत किया। **श्री सुबोध शर्मा पुत्र रामस्वरूपजी जाति वैष्णव निवासी रेगरो का वास शास्त्री चौक बालोतरा मैसर्स अरोड़ा नमकीन चारण मार्केट शास्त्री चौक बालोतरा** को फर्म से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कहा गया। इस क्रम में मालिक द्वारा आधारकार्ड व फूड लायसेंस की छाया प्रतियां प्रस्तुत की।
8. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को अपना पक्ष स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत करने हेतु विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया।
9. अप्रार्थी अभियुक्त को उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद में वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत कराया गया। अप्रार्थी अभियुक्त उपस्थित होकर
10. परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या **एलएस/599/एक्ट/2023/643 दिनांक 28.03.2023** के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अपनी दुकान पर उपयोग में लिया हुआ मिलावटी दही का नमूना जांच रिपोर्ट में सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया है।

  
 न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
 अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा



11. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(11) के तहत अमानक पदार्थ बेचने का दोषी है जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है । उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित है । अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(11) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत गैरसायल मैसर्स **श्री सुबोध शर्मा पुत्र रामस्वरूपजी जाति वैष्णव निवासी रेगरो का वास शास्त्री चौक बालोतरा मैसर्स अरोड़ा नमकीन चारण मार्केट शास्त्री चौक बालोतरा** पर 3000/-रु अक्षरे तीन हजार रु शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाडमेर के नाम जरिये डी0डी0 न्यायालय में अथवा जरिये चालान/नगद से राजकोष में निर्णय दिनांक 23.02.2024 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

12. निर्णय आज दिनांक 23.02.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

  
(राजकुमार कस्वा)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा  
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा


क्रमांक/एडीएम कोर्ट/2024/ 142-44

दिनांक 23.02.2024

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधी नियंत्रण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर ।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर ।
3. अप्रार्थी श्री सुबोध शर्मा पुत्र रामस्वरूपजी जाति वैष्णव निवासी रेगरो का वास शास्त्री चौक बालोतरा मैसर्स अरोड़ा नमकीन चारण मार्केट शास्त्री चौक बालोतरा मालिक गैरसायल



  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा  
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा

# e-Challan

Medical, Health and Family Department  
Government of Rajasthan

GRN: 0086159156



Payment Date: 26/02/2024 17:31:00

Office Name: Chief Medical & Health Officer, Barmer

Location: BARMER

Period: 01/04/2023-To-31/03/2024

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0210-04-800-03-00-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि	3000.00
	Commision(-):	0.00
	Total/NetAmount:	3000.00

Three Thousand Rupees and Zero Paise Only

## Payee Details:

Full Name: SUBODHA SHARMA S/O RAM SWAROOP ARORA  
NAMKIN

Pan No.(If Applicable):

Address: BALOTRA

Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :

City(Pincode):

BALOTRA(344022)

Remarks: CASE NO 23/2023 ORDER DATE 23/02/2024  
FSSAI CHALLAN DEPOSIT

## Payment Details:

Bank: State Bank Of India

Date: 26/02/2024 17:31:00

Challan No. - 0

Bank CIN No: SBIN8615915626022024

Refrence No: CK000TOOS8

Computer generated copy on : 26/02/2024

Courtesy : <https://Egras.rajasthan.gov.in>